कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 झांसी।

पत्रांक :– 381 /18ए0/2026–27 दिनांक :– 14.05.2026

ई–निविदा नोटिस (द्वितीय आमंत्रण)

1. महामहिम राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी द्वारा विभिन्न कार्य हेतु आइटम दर के आधार पर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। प्रत्येक निविदादाता एक या सभी कार्य के लिये निविदा डाल सकता है।

2.

क्र.सं.	जनपद	कार्य का नाम	आगणन की लागत (लाख रू0)	धरोहर धनराशि (लाख रू0)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय का पता	अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय का पता	मुख्य अभियन्ता कार्यालय का पता
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1	झांसी	जनपद/तहसील/विकास खण्ड मुख्यालय में स्थायी हैलीपैड का निर्माण कार्य। (तहसील मुख्यालय टहरौली मेजर ध्यानचंद्र क्रीड़ास्थल बंकापहाड़ी)	18.76	1.88	निविदा मूल्य+ स्टेशनरी मूल्य +जी0एस0टी0 = 860.00	02 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी	झांसी वृत्त, लो0नि0वि0, झांसी	झांसी क्षेत्र, लो0नि0वि0, झांसी

3. बिल ऑल क्वान्टिटी में ली गई दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है।
4. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी। एक बार प्रस्तुत निविदा वापिस नहीं ली जा सकती है।
5. कार्यों से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र (Biding Documents) **बेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध हैं, जो कि दिनांक 15.05.2026 से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।**
6. शासनादेश संख्या–26/2017/2778/78–2–2017–97 आईटी/2017 टीसी दिनांक 05–09–2017 और ई0इन0सी0 परिपत्र संख्या 155 शिविर/सीई (मुख्यालय –1)/परिपत्र / 2019–20 दिनांक 22.04.2019 के प्राविधानों के अनुसार निविदा तालिका में कार्य के लिए निर्दिष्ट यूटीआर (यूनिक ट्रांजेक्शन रसीद) धरोहर धनराशि (ईएमडी) की प्रति और निविदा लागत के साथ होना चाहिए। धरोहर धनराशि और निविदा लागत निम्नानुसार ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए :–

   अ–निविदा प्रपत्र का मूल्य :– प्रति कॉलम 6 (गैर–वापसी योग्य) के रूप में केवल ई–टेंडर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खाते में जमा किया जाना है। सभी संबंधित कृपया ध्यान दें कि यदि निविदा प्रपत्रों का मूल्य (निविदा शुल्क) का भुगतान ऑनलाइन नहीं किया जाता है तो निविदा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

   ब–बिड सिक्योरिटी (ई.एम.डी.):– बिड्स को कॉलम –5 के अनुसार तालिका में काम के लिए निर्दिष्ट राशि की सुरक्षा के साथ होना चाहिए। धरोहर धनराशि केवल यू–टेंडर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खाते में जमा की जाएगी। सभी संबंधित कृपया ध्यान दें कि यदि धरोहर धनराशि (ईएमडी) का भुगतान ऑनलाइन नहीं किया जाता है तो निविदा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। धरोहर धनराशि किसी अन्य रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र दिनांक **15.05.2026 से 21.05.2026 तक (दोपहर 12:00 बजे तक)** डाउनलोड किये जायेंगे। जिनकी तकनीकी निविदाएं उसी कार्यकारी दिवस दिनांक–**21.05.2026 को दोपहर 12:30 बजे** ऑनलाइन खोली जायेंगीं तथा निविदा प्राप्ति अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय एवं स्थान पर ऑनलाइन खोली जायेगी तथा निविदाओं की वैधता मूल तिथि से मानी जाएगी। वित्तीय निविदाओं को खोलने की तिथि एवं समय की सूचना ऑनलाइन दी जायेगी।
8. प्रत्येक कार्य के लिये निविदादाताओं की शंका समाधान हेतु **दिनांक 16.05.2026** को 12:00 बजे अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में आई0टी0बी0 के क्लॉज–9.2 के अनुसार बैठक आहूत की जायेगी।
9. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी (First Blood Relations & There Spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
10. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवा निवृत्ति के पूर्ण

नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जाएगी। यदि कोई सेवा निवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाए जायेंगें तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जाएगी।

11. अपराधिक पृष्ठभूमि वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
12. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
13. प्रत्येक निविदादाता को निविदा की क्षमता के मूल्यांकन की सभी जानकारी रू0 100/– के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में शपथ के रूप में देना अनिवार्य होगा।
14. शासनादेश संख्या–1/2018/3070/78–2–2018/42 आई0टी0/2017 (22) दिनांक 03.01.2018 के आधार पर तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने के पश्चात निविदादाता मूल प्रपत्र विभाग में जमा करेगा। यदि निविदादाता द्वारा मूल प्रपत्र विभाग में जमा नही किये जाते हैं तो इस दशा में शासनादेश में प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
15. निविदादाता से अपील की जाती है कि अपलोडिंग की अन्तिम तिथि व समय से पूर्व ही निविदा अपलोड कर दें, जिससे नेट की स्लो स्पीड तथा अन्य व्यवधान से बचा जा सके। उक्त की स्थिति में विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
16. सफल निविदादाता शासनादेश संख्या–692/23–07–2024 लोक निर्माण अनुभाग–7 दिनांक 09.08.2024 के अनुसार अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :–
    - **a.** यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी।
    - **b.** यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी।
17. ठेकेदार के बिल से जी0एस0टी0 की कटौती/भुगतान नियमानुसार की जायेगी।
18. ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
19. प्रत्येक ठेकेदार को निर्माण के समय यातायात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु प्रर्याप्त सुविधा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
20. उपरोक्त कार्य के देयक का भुगतान आवंटन/बजट की उपलब्धता होने पर ही किया जायेगा।
21. निविदादाता के पास समान स्तर के कार्य का कम से कम तीन बार अनुभव होना चाहिए।

(इं0 रजनीश गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी।
वास्ते – महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी।

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJNIISH GUPTAA
Date: 2026.05.16 11:35:01 IST
Location: Uttar Pradesh-UP